

भारत सरकार  
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3017  
18 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

**प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण के अंतर्गत महाराष्ट्र को जारी की गई निधि**

**3017. श्री संजय दिना पाटिल:**

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई) योजना के अंतर्गत देश भर में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की सहायतार्थ राज्यों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है;
- (ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र को कुल कितनी निधि जारी की गई है और कितने सूक्ष्म खाद्य उद्यम लाभान्वित हुए हैं;
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों के लिए कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता और ऋण सुविधा सहित कौन-से प्रमुख कार्यकलापों हेतु सहायता प्रदान की गई है;
- (घ) क्या महाराष्ट्र में आय वृद्धि, बाज़ार तक पहुँच बढ़ाने और स्थानीय खाद्य उत्पादों के संवर्धन के संदर्भ में पीएम-एफएमई के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) महाराष्ट्र में पीएम-एफएमई के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु निधि का समय पर उपयोग और उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) क्या सरकार का महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को सुदृढ़ करने के लिए कोई अतिरिक्त सहायता, उपाय या प्रोत्साहन आरम्भ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, 31 अक्टूबर, 2025 तक योजना के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4306.40 करोड़ रुपये का केंद्र का हिस्सा जारी/आवंटित किया गया है।

(ख): महाराष्ट्र राज्य के लिए, पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए 31 अक्टूबर, 2025 तक 646.24 करोड़ रुपये का केंद्र का हिस्सा जारी/आवंटित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 26,172 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं।

**(ग):** पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य में स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मार्केटिंग में मदद और क्रेडिट फैसिलिटेशन सहित इन गतिविधियों को सहायता दी गई है:-

(i) 26172 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के लिए ऋण मंजूर किया गया है। उन्हें नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने/अपग्रेड करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यवसायिक सहायता दी जाती है।

(ii) 53146 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को वर्किंग कैपिटल और छोटे टूल्स खरीदने के लिए प्रारंभिक पूंजी सहायता मंजूर की गई।

(iii) बाज़ार पहुंच/लिकेज, उत्पाद मानकीकरण, पैकेजिंग और नियामक अनुपालन के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

(iv) कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के अंतर्गत, 35996 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स/इनोवेटर्स और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सामान्य प्रसंस्करण सुविधा देने के लिए 3 इनक्यूबेशन सेंटर्स को मंजूरी दी गई है।

**(घ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने पीएमएफएमई योजना के प्रभाव का आंकलन के लिए योजना का एक तृतीय-पक्ष मध्यावधि प्रभाव मूल्यांकन करवाया है। अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पीएमएफएमई के ज़रिए प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता के एकीकरण से उद्यमियों को अपनी उत्पादन क्षमता, टर्नओवर बढ़ाने और व्यापार वृद्धि में मदद मिली है, जिससे आय सृजन, बाज़ार पहुंच/लिकेज और वोकल फ़ॉर लोकल को बढ़ावा मिला है।

**(ङ):** निधि का समय पर इस्तेमाल करने और योजना को लागू करने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, ऋण देने वाले बैंकों, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

**(च):** एमओएफपीआई विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मज़बूत करने के लिए उनकी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले फ़ायदों को पीएमएफएमई योजना के साथ जोड़ा जा सके। इसके अलावा, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रदर्शनी और एक्सपो, मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि में हिस्सा लेने के लिए सहायता/प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि उनकी बाजार पहुंच/लिकेज मज़बूत हो सके। मंत्रालय विभिन्न संस्करणों में अपना मुख्य इवेंट, वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) आयोजित कर रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पीएमएफएमई लाभार्थियों ने हिस्सा लिया है और पीएमएफएमई पवेलियन के स्टॉल में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। मंत्रालय लाभार्थियों को ये स्टॉल निशुल्क देता है। डब्ल्यूएफआई, पीएमएफएमई लाभार्थियों को अपने उत्पादों को बड़ी संख्या में आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को दिखाने और उनका प्रचार करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

\*\*\*\*\*